

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के संलग्नक ग्रुप-एफ के अनुरूप व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान (पुरुष-महिला) वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के विरुद्ध हुई विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू) की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिक को पे-बेण्ड 9300-34800 पीबी-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप इन्हें निम्नांकित व्याख्याताओं को इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	वरि.क्र.	वरि.अवधि	नाम अभ्यर्थी पदस्थापन जिला (राउमावि / राबाउमावि)	जन्मतिथि	वर्ग	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)
1.	444	1990-1992	हेमलता गौतम, तदर्थ-व्या. बा. चन्द्रपोल-बांसवाडा	03.01.1984		बा. चन्द्रपोल-बांसवाडा
2.	435	1990-1992	पूर्णिमा चतुर्वेदी, तदर्थ व्या.बा. निवाई-टोंक	15.08.1963		बा. निवाई-टोंक

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मि जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्तपति से दो से अधिक संतान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक, वर्ष वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक होगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरन्त सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 25/6/16 तक कार्यग्रहण करना होगा। अन्यथा पदोन्नति का परित्याग माना जावेगा।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 20/06/16

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रसायन विज्ञान/डीपीसी-पदस्थापन/2015-16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. शासन सचिव, शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (क-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सम्बन्धित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच कार्यालय हाजा
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर